राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स
नासिन परिसर, सैक्टर-29, फरीदाबाद

दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक दो चरणों में (प्रात: एवं सायं) की अवधि के लिए तैराकी कोच एवं जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) की सेवाएं प्रदान करने और 7 लाख लीटर क्षमता वाले तरणताल (आकार 25मी.x12मी.) के निस्पंदन संयंत्र (फिल्टर प्लांट) के संचालन के लिए पात्र ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

- बिड वाली प्रक्रिया के सभी दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध हैं :
  www.nacin.gov.in
  www.cbic.gov.in
  www.eprocure.gov.in

- बिड केवल भारत सरकार के ई-खरीद पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन जमा की जाएगी।

- निविदाकर्ता को तैराकी कोच एवं जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) के अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता और निस्पंदन संयंत्र (फिल्टर प्लांट) के संचालन के अनुभव के साथ बिड अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए।

- निविदा बतौर बयाना राशि 50,000/- हजार रूपये पीएओ, सीबीईसी, नई दिल्ली के पक्ष में जारी सारणी बैंक के अंतर्गत ड्राफ्ट सहित संलग्न होनी चाहिए।

- ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 16:00 बजे तक 05 March 2020 है और उसी दिन बिड 16.00 बजे खुलेंगी।

- अकादमी बिना कारण बताए एक या सभी बिड को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
नासिन, फरीदाबाद

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स
नासिन परिसर, सैक्टर-29, फरीदाबाद

नियम एवं शर्तें

1. निविदाकर्ताओं को न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उपलब्ध कराए गए तैराकी कोच, जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) और सफाई कर्मचारियों के संबंध में निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित लागू कानून और नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यता / प्रमाण पत्र अवश्य रखना होगा। इससंबंध मे उसका पंजीकरण जीएसटी ,ई एस आई ,ई पी एफ विभाग मे होना चाहिए

2. निविदाकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे साइट का निरीक्षण और जांच करें एवं अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं संतुष्ट हों। निविदाकर्ता को कार्य की पूरी जानकारी हो कि वह निरीक्षण करता है या नहीं और किसी भी गलतफहमी पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा या अन्यथा अनुमति दी जाएगी। निविदाकर्ता अपनी लागत पर सभी सामग्री, उपकरण और संयंत्र, श्रमिकों के लिए सुविधाएं देने एवं कार्य निष्पादित करने व आवश्यक अन्य सभी सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि उसने इस नोटिस को पढ़ लिया है और कार्य क्षेत्र की सीमा से स्वयं को अवगत कराया है।

3. निविदा की बयाना राशि बतौर बंद (सील) लिफाफे में "बयाना धन" के रूप में नासिन को प्रस्तुत किया जाएगा और डीडी की प्रति तकनीकी बिड के साथ ऑनलाइन संलग्न की जाएगी।

4. निविदाओं के खुलने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए एवं स्वीकृति हेतु निविदा संबंधित पोर्टल पर खुली रहेगी। निविदा की नियम एवं शर्तों के मामले में यदि कोई, निविदाकर्ता उक्त अवधि से पूर्व अपनी निविदा को वापिस या अन्य संशोधन करता/करती है जो कि विभाग को अस्वीकार्य है तो, सरकार किसी अन्य अधिकार या उपाय एवं अपक्षपाती रूप से, उक्त बयाना राशि का 50% जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

5. सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार की निविदा की स्वीकृति होने पर, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कार्य शुरू होने की निर्धारित तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

6. इस कार्य के अंतर्गत तरणताल आदि के रख-रखाव को बनाये रखने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री को उपयोग से पूर्व नासिन, फरीदाबाद के कार्यालय प्रभारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

7. यदि संयंत्र का संचालन नहीं किया जा सकता है या प्रासंगिक आई.एस. कोड के अनुसार पानी का रखरखाव नहीं किया जाता है, तो निविदाकर्ता / ठेकेदार से दंडस्वरूप देय राशि 2,500/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूली जायेगी।

8. उपकरण के संचालन के लिए निविदाकर्ता / ठेकेदार निर्धारित लागू कानून एवं नियमों के तहत ही योग्य कर्मचारियों को उनके कार्य पर लगायेगा।

9. सप्ताह में छः दिनों के लिये तरणताल का संचालन किया जायेगा। एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश को अकादमी अपनी आवश्यकतानुसार बदल सकता है।

10. सक्षम प्राधिकारी सबसे कम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना किसी कारण बताए, प्राप्त किए गए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी अपने पास सुरक्षित रखता/रखती है। सभी निविदाएं जिनमें कोई भी निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है या निविदाकर्ता द्वारा सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो, उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

11. निविदाकर्ता द्वारा कार्य पंजिका (लॉग बुक) रखी जायेगी, जिसमें दैनिक परीक्षण रिपोर्ट, रासायनिक और प्रयुक्त सामग्री की मात्रा आदि का उल्लेख अलग-अलग स्तंभों (कॉलमों) में किया जायेगा और इस अकादमी के तरणताल प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। दैनिक परीक्षण रिपोर्ट को इस तरह प्रदर्शित किया जाएगा कि तरणताल का उपयोग करते हुए सभी को दिखायी जा सकती हो।

12. तैराकी कोच और जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) को लागू कानून और नियमों के अनुसार योग्य / प्रशिक्षित और अनुभवी होना चाहिए। निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय कार्य के अनुभव की योग्यता और विवरण संलग्न किया जाना चाहिए।

13. उल्लिखित शर्तों में कोई कोताही होती है तो, प्रथम प्रयत्न पर 2,500/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा और बाद में कोताही होने पर, निविदा समाप्त की जा सकती है और बयाना धन को जब्त कर लिया जायेगा।

निविदा दस्तावेजों को भरने से पूर्व**,** कृपया निम्नलिखित नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अपूर्ण निविदा दस्तावेजों को खारिज कर दिया जायेगा।

क) सामान्य शर्तें :

01. इन शर्तों, विनिर्देशों और प्रासंगिक भारतीय मानक 3328-1965 के अनुसार और नासिन की प्रशासनिक शाखा के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा।

02. **भुगतान की शर्तें :**

I) कोई अग्रिम भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

II) निविदा कार्य के पूरा होने के बाद ही सिर्फ़ भुगतान किया जायेगा। असंतोषजनक कार्य करने पर उचित कटौती / जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी कटौती / जुर्माना निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार नासिन फरीदाबाद को होगा।

03. सेवा प्रदाता (एतद्पश्चात् सेवा प्रदाता/एजेंट के रूप में संदर्भित) स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेगा और अपने स्वयं के खर्चे पर निविदा के प्रयोजनों के लिए और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए एवं

कार्य-स्थल का निरीक्षण करने और सभी स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने, कार्य से अभिप्रेत होने, कार्य की प्रकृति और इसके अतिरिक्त सभी मामलों से संबंधित जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

04. कोटेशन की स्वीकृति के संबंध में नासिन फरीदाबाद से सूचना प्राप्त करने पर, सफल निविदाकर्ता / फर्म / सेवा प्रदाता / एजेंसी बिड दस्तावेजों में निहित निर्देशों के अनुसार काम शुरू करेगीं। इसलिए निविदा के संबंध में कोटेशन की स्वीकृति के लिए नासिन फरीदाबाद और फर्म/सेवा प्रदाता के बीच बाध्यकारी अनुबंध बनाया जायेगा। यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा दाखिल करने से पूर्व सभी तरह से तरणताल, उसके संयंत्र कक्ष (प्लांट रूम) और अन्य संबंधित स्थापित सामानों की अच्छी तरह से जाँच कर ले और तरणताल के संचालन के लिए लघु आपूर्ति या अन्य कोई लघु आगमन के मामले में, कार्य के लेने से पूर्व नासिन के संज्ञान में लाया जाये। एक बार इस कार्य को संभालने के बाद, व्यवस्था करने की पूर्ण और प्रभावी कामकाज की प्रत्याभूति (गारंटी) देना ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी बन जाएगी।

05. किसी भी आधार पर सफल सेवा प्रदाता द्वारा काम करने से इनकार करने की स्थिति में, उसका/उसकी बयाना/सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

06. किये गये कार्य के सभी बिलों का भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात, पीएओ, सीबीआईसी के द्वारा डिजिटल माध्यम से सीधे सेवा प्रदाता के खाते में भेजे जाएंगे।

07. यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह नासिन फरीदाबाद में इसके (एजेंसी / सेवा प्रदाता) द्वारा लगे श्रमिकों के संबंध में परिवहन, भोजन, चिकित्सा और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करे और इस संबंध में नासिन फरीदाबाद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

08. इस अनुबंध के तहत सभी अभिप्राय एवं प्रयोजनों के लिए, नासिन फरीदाबाद में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में सभी प्रचलित श्रम विधानों के अर्थ में सेवा प्रदाता ही "नियोक्ता" होगा। नासिन फरीदाबाद में एजेंसी/सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मचारियों के पास न तो मास्टर और नौकर के संबंधों के दावे होंगे और न ही नासिन फरीदाबाद के साथ या उसके खिलाफ कोई प्रिंसिपल और एजेंट का कोई संबंध होगा।

9. केवल सेवा प्रदाता ही उनके द्वारा लगे श्रमिकों से संबंधित विवादों के निवारण / समाधान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। नासिन फरीदाबाद, किसी भी तरह से, ऐसे मुद्दों के निपटान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10. अपने कार्यों / कर्तव्यों को पूरा करने की कार्यप्रणाली में या किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किसी भी श्रमिक को किसी भी नुकसान, घाटे, चोरी, दावे, वित्तीय या अन्य क्षति के लिए नासिन फरीदाबाद जिम्मेदार नहीं होगा।

11. अनुबंध अवधि की समाप्ति के दौरान या बाद में सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मचारी आकस्मिक, तदर्थ, नियमित / पुष्टित कर्मचारियों के समान स्वीकार्य अन्य सुविधाएं और न ही भुगतान, भत्तों की हकदारी के लिये कोई दावा नहीं करेंगे।

12. इस अनुबंध की समाप्ति के मामले में या इसके समाप्त होने पर या अन्यथा, नासिन फरीदाबाद में सेवा प्रदाता द्वारा लगे अनुबंधित कर्मचारी नियमित / अन्यथा क्षमता में समावेश के लिए पात्र नहीं होंगे और किसी भी अन्य समावेश की छूट के लिए दावा करने के हकदार भी नहीं होंगे।

13. इस विषय पर संबंधित कर संग्रह प्राधिकारियों को समय-समय पर प्रचलित नियमावली और विनियमन के अनुसार नासिन फरीदाबाद द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मामले में सभी कर, लेवी, उपकर आदि को जमा करने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का होगा।

14. आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर यथासंशोधित, आयकर (टी.डी.एस.) मासिक बिलों (वर्तमान दरोंनुसार) से काटा जाएगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र नासिन फरीदाबाद द्वारा एजेंसी / सेवा प्रदाता को प्रदान किया जाएगा।

15. यदि, सेवा प्रदाता उचित कानून के तहत किसी भी वैधानिक / कराधान दायित्व का पालन करने में विफल रहता है और परिणामस्वरूप नासिन फरीदाबाद द्वारा किसी भी हानी / दायित्व, चेतावनीपूर्ण मामले को प्रस्तुत किया जा सकता है या अन्यथा, चेतावानीपूर्ण शर्त में दायित्व या हानी की सीमा तक या सेवा प्रदाता की निष्पादन सुरक्षा जमा राशि या बकाया बिलों की प्रतिपूर्ति होने वाली राशि से नासिन फरीदाबाद स्वयं ही प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा।

16. यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाना चाहता है तो, वे नासिन फरीदाबाद में नासिन रख-रखाव के प्रभारी अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा वैकल्पिक उचित व्यवस्था की जाएगी।

ख) सेवा प्रदाता की जवाबदेही:

1. ऊपर दी गई रक़म सभी लागतों, खर्चों, मजदूरी और अन्य खर्चों को शामिल किया गया है, जिसमें कामगारों को पूर्व भुगतान और एजेंसी / सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया जा सकता है और एजेंसी / सेवा प्रदाता इस अनुबंध की अवधि के दौरान नासिन फरीदाबाद से अन्यथा या अन्य कोई मांग करने का हकदार नहीं होगा।

2. नासिन फरीदाबाद को किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मुआवजे के लिए व सभी दावों के विरूद्ध बलपूर्वक द्वारा लागू होने / अमल में लाने या नासिन द्वारा किया गया व्यय और सभी लागतों के खिलाफ या सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध किए गए किसी भी वर्कसमैन के मामले में

एजेंसी / सेवा प्रदाता हर समय क्षतिपूर्ति करेगी / करेगा। किसी भी दावे के संबंध में लागत या खर्च और मुआवजे के माध्यम से देय जैसा कि पूर्वोक्त है या सभी पैसों के भुगतान से, नासिन फरीदाबाद को देय राशि को काटने का हकदार होगा। इस प्रयोजन के लिए क्षतिपूर्ति बांड को निष्पादित करना होगा।

3. सेवा प्रदाता अनुबंध किसी और को प्रदान नहीं करेगा। नासिन फरीदाबाद द्वारा लिखित सहमति के बिना सेवा प्रदाता अनुबंध को और किसी को पट्टे पर विभक्त नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लघंन के मामले में नासिन फरीदाबाद सेवा प्रदाता को लिखिततौर पर अनुबंध को निरस्त करने का नोटिस जारी करेगा और सेवा प्रदाता के विरूद्ध उनके अन्य मामलों में बिना किसी पूर्वाग्रह के नासिन फरीदाबाद सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर सकता है।

4. सेवा प्रदाता तरणताल एवं इसके संयंत्र कक्ष में सभी उपकरणों की देख-रेख के लिए उत्तरदायी होगा।

5. सेवा प्रदाता अपेक्षित संख्या में कम से कम 5 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा या जो कि कोटेशन में निर्दिष्ट नौकरियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

6. सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अनुशासन का पालन करवाना होगा और देखना होगा कि उनके रोजगार के दौरान शिष्टाचार एवं शालीनता बनी रहे।

7. सेवा प्रदाता को प्रत्येक सप्ताह रख-रखाव सारणी प्रस्तुत करना होगा।

8. सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सभी कर्मी / कर्मचारीगण कार्य के दौरान शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।

9. सेवा प्रदाता अपने खर्चे पर कर्मचारियों को उचित वर्दी प्रदान करवायेगा। किसी भी कर्मचारी को अनुचित ढंग से कपड़े पहने हुए या कार्य में असंतोषजनक पाए जाने पर, परिसर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में तुरंत उक्त कर्मचारी के बदले दूसरा कर्मचारी उपलब्ध करवायेगा।

10. इस अनुबंध को चलाने के लिए आवश्यक वैधानिक प्राधिकारियों से सभी अनुज्ञापत्र (लाइसेंस), आज्ञापत्र (परमिट) आदि नासिन के नाम पर होगा। यद्धपि उन्हें अनुमति प्राप्त करने/नवीनीकरण करने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं सेवा प्रदाता द्वारा नासिन फरीदाबाद की ओर से की जाएगी।

11. एजेंसी विभिन्न श्रम, औधोगिक और किसी भी अन्य लागू क़ानूनों एवं सभी वैधानिक दायित्वों, जैसे :- नासिन में तैनात संविदा कर्मियों से संबंधित मज़दूरी, भत्ते, क्षतिपूर्ति(कर्मकार

मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य लागू वैधानिक), ई.पी.एफ., अधिलाभ(बोनस), उपहार(ग्रेच्युटी), ई.एस.आई. आदि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा । नासिन इस संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा ।

12. एजेंसी किसी भी दुर्घटना / चिकित्सा / स्वास्थ्य संबंधित देयता / नासिन में तैनात संविदा कर्मियों के मुआवजे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा । नासिन इस संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा ।

13. सेवा प्रदाता सुनिश्चित करेंगे कि सरकार या स्थानीय द्वारा लागू प्रचलित/प्रचलन में आने वाले अनुबंध श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम) 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम एवं ऐसे अन्य वैधानिक अधिनियमनों, नियमों तथा विनियमों का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे, जो कि इस अनुबंध में लागू होंगे एवं गैर-अनुपालन (गैर-अनुमति) या अतिक्रमण (उल्लघंन) के कारण किसी भी दायित्व का उत्तरदायी सेवा प्रदाता होगा।

14. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मचारी उसके अपने कर्मचारी होंगे एवं नासिन फरीदाबाद उन कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन, अधिलाभ (बोनस), उपहार (ग्रेच्युटी) या कोई अन्य भत्ता, छुट्टी का वेतन, सरकारी छुट्टियों की मजदूरी या कोई अन्य क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

15. सेवा प्रदाता नियमित रूप से भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान, जमा लिंक्ड (उससे जुड़े हुए) बीमा योजना और अन्य सभी वैधानिक देय राशि का भुगतान करेगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए देय होगा एवं सभी आवश्यक वैधानिक रिकार्ड को ठीक तरह से रखना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर या अकादमी अधिकारियों द्वारा मांगने पर इसी रिकार्ड को दिखाना होगा।

16. अनुबंध दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक लगभग सात महीने का रहेगा।

17. **अनुबंध की समाप्ति:**

इस अनुबंध की अवधि के दौरान, सेवा प्रदाता के कार्य से संतुष्ट नहीं होने पर नासिन फरीदाबाद इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है जिसकी लिखित सूचना सेवा प्रदाता को 30 दिनों पूर्व दी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए अकादमी यह तय करने वाला एकमात्र न्यायाधीश होगी कि सेवा प्रदाता का कार्य निष्पादन संतोषजनक है या नहीं और अकादमी का ऐसा निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा और सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगा तथा सेवा प्रदाता उस संबंध में किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा, यदि अनुबंध के गैर-नवीकरण और/या इस अनुबंध

की समाप्ति के कारण, यदि सेवा प्रदाता अपने किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करता है तो, एकमात्र सेवा प्रदाता ही अपने कर्मचारियों को कानूनी बकाया राशि के भुगतान का जिम्मेवार होगा। कानूनी प्रावधानों का पालन न करने या बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में सेवा प्रदाता स्वयं ही सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

18. सेवा प्रदाता के कोटशन दर के उल्लिखित सभी शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए।

19. इस अनुबंध के संबंध में स्पष्टीकरण/विवाद के सभी मामले में, प्रधान महानिदेशक, नासिन फरीदाबाद द्वारा नियुक्त उचित अधिकारी का अधिकार अंतिम होगा।

[सेवा प्रदाता संलग्न मसौदा (संलग्नक) के अनुसार एक घोषणा पत्र देगा कि वह सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ चुके हैं एवं यदि उसको कार्य सौपा जाता है तो वही उस पर/अपने आप पर बाध्यकारी होगा/रहेगा]

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी,
नासिन परिसर, सैक्टर-29,
फरीदाबाद।

महोदय /महोदया,

विषय: नासिन, फरीदाबाद के लिए तरणताल के निस्पंदन संयंत्र (फिल्टरेशन प्लांट) के परिचालन एवं तैराकी कोच एवं जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) की सेवाएं उपलब्ध कराने - के संबंध में।

संदर्भित:- निविदा आईडी सं...............

निविदा संख्या.................. दिनांक................ के संदर्भ में, मैं/हम अपनी बिड आवश्यक प्रारूप में प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम नासिन, फरीदाबाद द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करता/करते हूं/हैं। मैं/हम नासिन फरीदाबाद के दिशा-निर्देशों/नियम एवं शर्तों को निर्धारित प्रारूप के माध्यम से सावधानीपूर्वक पालन करता/करते हूँ/हैं तथा मैं/हम बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के उसी को स्वीकार करता/करते हूँ/हैं।

मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं कि आप सबसे कम या आपके द्वारा प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

भवदीय/भवदीया,

दिनांक.............

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स
नासिन परिसर, सैक्टर-29, फरीदाबाद

कार्य का नाम: नासिन परिसर, फरीदाबाद में आर.एम.ओ. तरणताल

(उप शीर्ष :- तरणताल के निस्पंदन संयंत्र (फिल्टरेशन प्लांट) का परिचालन और तैराकी कोच एवं जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) की सेवाएं उपलब्ध कराना)

क्र.सं.	सामान का विवरण	मात्रा/यूनिट	दर	राशि
1.	आई.एस. 3328-1965 एवं उनके प्रासंगिक कोड के अनुसार परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक रसायनों की खुराक सहित तरणताल के जल के उपचार सहित 7 लाख लीटर (आकार 25x12 मी.) क्षमता के तरणताल के निस्पंदन संयंत्र (फिल्टरेशन प्लांट) का संचालन एवं रख-रखाव	230 दिन		
2.	आई.एस. 3328-1965 एवं आवश्यकतानुसार संपूर्ण परीक्षण किट की मदद से उनके प्रासंगिक कोडनुसार मात्रा एवं परिणाम प्राप्त करना व तरणताल के पानी के उपचार हेतु निम्नलिखित रसाययन प्रदान करना एवं मिलाना (मिश्रण बनाना)			
	(i) तरल (द्रव) क्लोरीन	5150 लीटर		
	(ii) सोडा पाउडर	2575 लीटर		
	(iii) कॉपर सल्फेट	255 कि.ग्रा.		
	(iv) फिटकरी (ऐलम)	5150 कि.ग्रा.		
3.	आवश्यकतानुसार पम्पों एवं मोटरों की मरम्मत, पम्पों एवं मोटरों का बदलाव (प्रतिस्थापना), स्विच गियर, केबल, तार आदि का बदलाव	एक कार्य (जब जब आवश्यक हो)		
4.	निस्पंदन संयंत्र में मेडिया प्रदान करना / साफ-सफाई करना	एक कार्य		
5.	दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक तैराकी कोच की सेवाएं प्रदान करना	दो		
6.	दिनांक 01.04.2020 से 31.10.2020 तक जीवन रक्षक (लाइफ गार्ड) की सेवाएं प्रदान करना	दो		
7.	सफाई कर्मचारी	एक		
8.	जी.एस.टी.	जैसा लागू हो		